



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का कार्यालय
OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)

“आयकर भवन”, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011

“AAYAKAR BHAWAN,” HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL-462011

आदेश / ORDER

दिनांक /Dated: 10.06.2026

ITD - CIT
NOLR = Taxpayer
DB
PS/ST

Sub: Registration as Valuer under **section 514** of the Income-tax Act, 2025, read with **Rule 246** of the Income-tax Rules, 2026, in the case of Shri Shubham Baghel, (PAN: BBPPB2044E) S/o: Shri Vijay Kumar Baghel, R/o 03, Bhoj Marg, Badnawar, Dhar (M.P) - Regarding-

विषय : आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 और आयकर नियम, 2026 के नियम 246 के तहत मूल्यांकक (Valuer) के रूप में पंजीकरण के मामले में श्री शुभम बघेल, पुत्र श्री विजय कुमार बघेल, निवासी: 03, भोज मार्ग, बदनावर, धार (म. प्र.)-संबंध में।

With reference to your letter/application received in this office on **10.01.2024**, and after due consideration of the applicable Rule 247(2) of the Income-tax Rules, 2026, it is informed that your name has been registered u/s 514 of the Income-tax Act, 2025 as **valuer** for the class/classes of assets mentioned below:

इस कार्यालय में दिनांक **10.01.2024** को प्राप्त आपके पत्र/आवेदन के संदर्भ में, तथा आयकर नियम, 2026 के लागू नियम 247(2) पर उचित विचार करने के पश्चात, यह सूचित किया जाता है कि आपका नाम आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अंतर्गत नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के वर्ग/वर्गों के लिए मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया गया है:

“ [Immovable Property(other than agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries) / अचल संपत्ति (कृषि भूमि, बागान, वन, खदानों तथा पत्थर खदानों से भिन्न)] ”

1. Your registration in the Register of Valuers maintained in the office of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal No. is **V-904** effective from **10.06.2026**.

आपका पंजीकरण प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल कार्यालय में संधारित मूल्यांकक रजिस्टर में क्रमांक, **V-904** पर उल्लेखित है। आपका पंजीकरण दिनांक **10.06.2026** से प्रभावी होगा।

2. In this regard, please note that your registration is subject to the following conditions: कृपया इस संबंध में, ध्यान दें कि आपका पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

A. Preparation of Valuation Reports and prescribed fee chargeable:

मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और निर्धारित शुल्क देय:

(i) The report of valuation shall be prepared by you in the prescribed form (including all required information and documents) as prescribed under section 514(3) of the Income tax Act, 2025 in the Form No. 170 and the details of all such reports of valuation will be kept in a separate register and will be produced before the undersigned whenever required.

मूल्यांकन रिपोर्ट आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में (सभी अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों सहित) तैयार की जाएगी, जैसा कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514(3), प्रपत्र संख्या 170 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है तथा मूल्यांकन की ऐसी सभी रिपोर्टों का ब्यौरा एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

- (ii) For the valuation of any asset in this regard, you shall only charge the fee as per Rule 248 of Income-tax Rules, 2026 which should be acceptable to you. A receipt of the fee charged shall be issued by you and a copy of such receipt will be preserved, and produced before the undersigned, whenever required.

इस संबंध में किसी भी संपत्ति के मूल्यांकन के लिए, आप केवल आयकर नियम, 2026 के नियम 248 के अनुसार ही शुल्क लेंगे जो आपको स्वीकार्य हो। आपके द्वारा लिए गए शुल्क की रसीद जारी की जाएगी और उस रसीद की एक प्रति सुरक्षित रखी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

- (iii) This will subject to compliance with Rule 246(6) of the Income-tax Rules, 2026, as regard qualifying in an examination within a period, as may be specified in this behalf by the Central Government, by notification. Further, if the applicant fails to qualify the examination as per sub-rule (6) within the specified period, the registration under section 514 of the Income Tax Act, 2025 shall stand cancelled with effect from the end of such specified period.

यह आयकर नियम, 2026 के नियम 246(6) के अनुपालन के अधीन होगा, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर एक परीक्षा उत्तीर्ण (qualify) करनी होगी। इसके अलावा, यदि आवेदक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उप-नियम (6) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के तहत पंजीकरण (registration) ऐसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से रद्द माना जाएगा।

- B. As per Rule 247(5) of the Income-tax Rules, 2026 no person shall qualify for registration as a valuer if -

आयकर नियम, 2026 के नियम 247(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होगा यदि

- (i) He/she has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment; or
यदि आपको कभी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है; अथवा
- (ii) In a case where you are a member of any association or institution established in India having as its object the control, supervision, regulation or encouragement of the profession of engineering architecture, accountancy, or company secretaries or such other profession as the Board may specify in this behalf, by notification, been found guilty of misconduct in your professional capacity, by such association or institution,

ऐसी स्थिति में, जहाँ आप भारत में स्थापित किसी ऐसे संघ या संस्थान के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी, वास्तुकला, लेखांकन, कंपनी सचिवता अथवा बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किसी अन्य व्यवसाय के पेशे के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या

प्रोत्साहन से संबंधित है, और आपको उक्त संघ या संस्थान द्वारा आपकी व्यावसायिक क्षमता में कदाचार का दोषी पाया गया हो।।

- (iii) You are convicted of an offence connected with any proceeding under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal), or a penalty has been imposed on him under section 271(1)(iii) or section 273(i) or section 270A or section 271J of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (as it existed prior to its repeal), or under section 439 or section 463 of the Act, or under section 18(1)(iii) of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) or section 17(1) of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) (as it existed prior to its repeal); or

आपको आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था), या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था) के तहत किसी भी कार्यवाही से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया है, या आयकर अधिनियम, 1961 (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था) की धारा 271(1)(iii) या धारा 273(i) या धारा 270A या धारा 271J के तहत, या इस अधिनियम की धारा 439 या धारा 463 के तहत, या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18(1)(iii) या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था) की धारा 17(1) के तहत आप पर जुर्माना लगाया गया। या

- (iv) In any other case, other than as mentioned above as laid down in Rule 247(5) of the Income-tax Rules.

उपरोक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त, आयकर नियम, 2026 के नियम 247(5) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मामले में।

- (v) You are declared an undischarged insolvent.
आपको अमुक्त दिवालिया घोषित किया गया हो।

- C. In the case of conviction and undischarged insolvency as mentioned above, you will inform the office of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal immediately in writing.

उपर्युक्त वर्णित दोषसिद्धि एवं अमुक्त दिवालियेपन के मामले में, आप कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल को तत्काल लिखित रूप से सूचित करेंगे।

- D. As soon as you accept any job with Government/public sector undertakings or any non-government employer, you shall inform the office of the Pr. Chief Commissioner of Income tax, Bhopal. Any report of Valuation, given by you during any such service period will be treated as void. Your registration will be deemed as cancelled from the date of your getting employment.

जैसे ही आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी गैर-सरकारी नियोक्ता के साथ कोई नौकरी स्वीकार करते हैं, आपको प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल के कार्यालय को सूचित करना होगा। ऐसी किसी भी सेवा अवधि के दौरान आपके द्वारा दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट अमान्य मानी जाएगी। आपकी नियुक्ति की तिथि से आपका पंजीकरण रद्द माना जाएगा।

- E. Your registration as Valuer shall be liable to cancellation under Rule 249 of the Income-tax Rules, 2026, if any violation referred to above points C & D and in Rule 249(1) of the said Rules comes to the notice of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal. This

shall include, inter alia, violation of any of the conditions prescribed under Rule 247(5) of the Income-tax Rules, 2026 and/or any misrepresentation or concealment of facts in Form-169, during the process of application for registration as a Valuer or at any subsequent stage.

आयकर नियम 2026 के नियम 249 के अंतर्गत आपका मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण निरस्त किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा, यदि उपर उल्लिखित उक्त नियमों 'सी' तथा 'डी' एवं नियम 249(1) में उल्लिखित किसी भी प्रकार के उल्लंघन की जानकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भोपाल के संज्ञान में आती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयकर नियम 2026 के नियम 247(5) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के उल्लंघन तथा/अथवा प्रपत्र-169 में अथवा मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात किसी भी स्तर पर तथ्यों के मिथ्या प्रतिपादन अथवा तथ्य छिपाने के मामले भी सम्मिलित होंगे।

3. Your registration shall be valid for 5 years from the date of order and can be re-registered, if found eligible subject to submission of complete details of valuation work carried out during the relevant period to this office at least 90 days before completion of the five-year period from the effective date of registration.

यह पंजीकरण आदेश की तारीख से 5 वर्षों के लिए वैध होगा और उसके बाद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपका पुनः पंजीकरण किया जा सकेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंजीकरण की प्रभावी तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के कम से कम 90 दिन पूर्व संबंधित अवधि में किए गए समस्त मूल्यांकन कार्यों का विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।



<

(मोना मोहंती / Mona Mohanty)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
(म.प्र. एवं छ.ग.), भोपाल / (MP&CG), Bhopal

F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech./34AB/904/2023-24 | 1944
Copy to: 02

दिनांक 10.06.2026

प्रतिलिपि :

- Shri Shubham Baghel, (the applicant)/ श्री शुभम बघेल (आवेदक)।
- The Pr. Commissioner of Income Tax-1, Indore for kind information.

प्रधान आयकर आयुक्त-1, इंदौर को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ The CIT-CPC(TDS), Income Tax Office, Vaishali, Ghaziabad for uploading in departmental website.

आयकर आयुक्त, केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर कार्यालय, वैशाली, गाजियाबाद विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(टी. सुरेश / T. Suresh)

आयकर अधिकारी (तकनीकी/ Income Tax Officer (Tech),

कृते प्र. मु. आ. आ. (म.प्र. एवं छ.ग.), भोपाल / For Pr. CCIT MP & CG, Bhopal